



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20052025-263246
CG-DL-E-20052025-263246

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2208]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 20, 2025/वैशाख 30, 1947

No. 2208]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 20, 2025/VAISAKHA 30, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 20 मई, 2025

का.आ. 2262(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या का.आ. 1854 (अ) दिनांक 24 अप्रैल, 2025 भारत के राजपत्र में प्रकाशित, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) दिनांक 24 अप्रैल, 2025 के दिनांकित में निम्नान्वित संशोधित करती है :

अधिसूचना संख्या का. आ. 1854 (अ) दिनांक 24 अप्रैल, 2025 में प्रकाशित	संशोधित
19.02.2025 को "राजस्थान पत्रिका" और "दैनिक भास्कर" में प्रकाशित किया गया था	19.02.2025 को "राजस्थान पत्रिका" और "दैनिक नवज्योति" में प्रकाशित किया गया था

[फा. सं. RW/JAI/RJ/CE-RO/NH-12012/2024-25/05/3D Corr.]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 20th May, 2025

S.O. 2262(E).—In exercise of powers conferred by The National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification S.O. 1854 (E), dated 24th April, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) on 24th April, 2025 namely: -

[S.O. 1854(E), dated 24 th April, 2025]	Amendment
Published in “ Rajasthan Patrika ” and “ Dainik Bhaskar ” on dated 19.02.2025	Published in “ Rajasthan Patrika ” and “ Dainik Navjyoti ” on dated 19.02.2025

[F. No. RW/JAI/RJ/CE-RO/NH-12012/2024-25/05/3D Corr.]

SHAIKH AMINKHAN, Director